रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 346] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 1, 2014/अग्रहायण 10, 1936

No. 346] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 1, 2014/AGRAHAYANA 10, 1936

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2014

सं. मि. 51–1/2014 (राअषिप (मा तथा मानक).—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 (1993 का 73वां) के खण्ड 32 के उपखण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (विनियम मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियम 2009 का प्रतिस्थापन करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एतद्द्वारा निम्न विनियम अधिसूचित करती है:–

(1) लघु शीर्ष और प्रवर्तनः–(1) ये विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियम 2014 कहलाएंगे।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं:–इन विनियमों में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) 'अधिनियम' का आशय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 (1993 का 73वां) से है।

(ख) 'संयुक्त संस्थान' का आषय विधिवत रूप से मान्यता प्राप्त ऐसे उच्च शिक्षा संस्थान से है जो अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए आवेदन करते समय स्थिति अनुसार उदार कलाओं अथवा मानविकियो अथवा सामाजिक विज्ञानों अथवा विज्ञानों अथवा वाणिज्य अथवा गणित के क्षेत्र में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है।

(ग) 'समापन' का आशय अथवा ऐसा संस्थान जो एक से ज्यादा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन करना रहा है। संस्थान द्वारा प्रस्तुत औपचारिक आवेदन पत्र के आधार पर परिषद द्वारा जिस संस्थान को मान्यता दी गई है अथवा कार्यक्रम की अनुमति दी गई है उसे निरस्त करना अथवा बन्द करना।

(घ) यहां प्रदत्त तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 (1993 का 73वां) में परिभाषित अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो कि उपर्युक्त अधिनियम में उन्हें दिया गया है।

3. प्रयोज्यता

ये विनियम संस्थानों की मान्यता के लिए मानदंड और मानक तथा क्रियाविधियां तैयार करने, नए कार्यक्रम शुरू करने, वर्तमान संस्थानों में मौजूदा कार्यक्रम के अतिरिक्त नया कार्यक्रम आरम्भ करने एवं मौजूदा कार्यक्रम में स्वीकृत प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों से संबंधित सभी विषयों पर लागू होंगे, यथा

(क) नए अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की शुरुआत के लिए जिनको संयुक्त संस्थानों द्वारा मान्यता हेतु संचालन किया जायेगा

(ख) परिषद द्वारा विधिवत रूप से मान्यता प्रदत्त मौजूदा अध्यापक शिक्षा संस्थानों में नए कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति

(ग) परिषद द्वारा विधिवत रूप से मान्यता प्रदत्त मौजूदा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में अतिरिक्त प्रवेश क्षमता के लिए अनुमति

(घ) मौजूदा अध्यापक शिक्षा संस्थानों को स्थान बदलने अथवा परिसर का स्थान बदलने की अनुमति

(ड) स्थिति अनुसार मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों संस्थानों के समापन अथवा बन्द करने के लिए अनुमति, शर्त है कि मुक्त तथा दूरस्थ अधिगम के जरिए चलाए जा रहे अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के मामले में ऐसे प्रत्येक अधिगम कार्यक्रम के लिए संबंधित मानदंड और मानक लागू होंगे।

4. पात्रता: संस्थानों की निम्न श्रेणियां इंन विनियमों के अधीन विचार किए जाने की पात्र हैं, यथा

(क) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अथवा उसके प्राधिकार के अधीन स्थापित संस्थान

(ख) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा वित्तपोषित संस्थान

(ग) डीमड विश्वविद्यालयों सहित सभी विश्वविद्यालय जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का तीसरा) के अधीन इस प्रकार मान्यता प्रदत्त अथवा घोषित किया गया हो।

(घ) समुचित विधि के अधीन पंजीकृत 'अलाभकारी' सोसायटियों तथा न्यासों द्वारा स्थापित तथा संचालित अथवा कम्पनी अधिनियम 2013 (2013 का 18वां) के अधीन किसी कम्पनी द्वारा स्थापित तथा संचालित स्ववित्त पोषित शैक्षिक संस्थान।

5. **आवेदन पत्र तैयार करने की विधि और समय सीमा**.–(1) विनियम 4 के अधीन पात्र ऐसा संस्थान जो अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चलाने का इच्छुक है, प्रोसेसिंग फीस तथा अपेक्षित दस्तावेजों सहित निर्धारित आवेदन पत्र में मान्यता के लिए संबंधित क्षेत्रीय समिति को आवेदन कर सकता है।

उल्लेखनीय है कि संस्थान परिसर को बदलने अथवा अतिरिक्त प्रवेश क्षमता अथवा अतिरिक्त अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों जैसी भी स्थिति हो के लिए एक साथ आवेदन पत्र कर सकता है।

आगे यह शर्त कि मौजूदा संस्थान, परिषद द्वारा मान्यता प्रदत्त एक अथवा अनेक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम/कार्यक्रमों के बन्द किए जाने के लिए आवेदन कर सकता है।

(2) आवेदन पत्र परिषद की वेबसाइट अथवा *www.ncte-india.org* से तथा मुक्त और दूरस्थ अधिगम द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों के लिए विभिन्न फार्म डाउनलोड किए जा सकते हैं।

(3) आवेदन पत्र प्रोसेसिंग फीस तथा अपेक्षित दस्तावेज जैसे कि संबंधित संबंधन प्रदान करने वाले निकाय द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रतियों सहित इलैक्ट्रोनिक विधि के माध्यम से आनलाइन प्रस्तुत किए जाएंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय यह सुनिश्चित किया जाना कि आवेदन पत्र के अंत में समुचित स्थान पर डिजिटल हस्ताक्षर सहित आवेदन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों।

(4) ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए पंजीकृत भूमि दस्तावेज की एक प्रति जिसमें यह दर्शाया गया हो कि कार्यक्रम के लिए आवेदन करने वाली सोसायटी अथवा संस्थान आवेदन की तारीख को भूमि उनके अधिकार में है, आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाएगा।

(5) सभी दृष्टियों से विधिवत रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र जिस शैक्षणिक सत्र के लिए मान्यता मांगी जा रही है उसके पूर्ववर्ती वर्ष की 1 मार्च से 31 मई की अवधि के बीच संबंधित क्षेत्रीय समिति को प्रस्तुत करना होगा:

शर्त यह है कि उपर्युक्त अवधि अध्यापक शिक्षा के नवाचारी कार्यक्रमों के आवेदन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर लागू नहीं होगी।

(6) 1 मार्च और 31 मई के बीच प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर अगले शैक्षणिक वर्ग के लिए कार्रवाई की जाएगी और अंतिम निर्णय जो मान्यता प्रदान किए जाने अथवा इन्कार किए जाने के रूप में हो सकता है आगामी वर्ष की 3 मार्च को या इससे पूर्व आवेदनकर्ता को सूचित किया जाएगा।

6. प्रोसेसिंग फीस – प्रोसेसिंग फीस राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नियमावली 1997 के समय–समय पर यथासंशोधित नियम 9 के अधीन यथानिर्धारित होगी जोकि कोई अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चलाने अथवा कार्यक्रम या मौजूदा कार्यक्रम के दाखिले में वृद्धि की मान्यता प्रदान किए जाने के लिए आवेदन पत्र प्रोसेस करने के निमित प्रार्थी द्वारा परिषद द्वारा यथाअधिसूचित नामित बैंको में ऑनलाइन जमा की जाएगी।

7. आवेदन पत्रों को प्रोसेस करना–(1) यदि कोई आवेदन पत्र पूरा नहीं है अथवा उसके साथ अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं तो ऐसे आवेदन पत्र को अधूरा और अस्वीकृत समझा जाएगा तथा आवेदन फीस जब्त कर ली जाएगी।

(2) आवेदन पत्र निम्न में से एक अथवा अधिक परिस्थितियों के अधीन सरसरी तौर अस्वीकार कर दिया जाएगा:

(क) ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख को या उससे पूर्व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नियमावली 1997 के नियम 9 के अधीन यथानिर्धारित आवेदन फीस जमा न कराना।

(ख) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कराए जाने के 15 दिन के भीतर विनियम 5 के उपविनियम (4) के अधीन यथाअपेक्षित भूमि दस्तावेजों सहित आनलाइन जमा कराए गए आवेदन पत्रों का प्रिंटआउट प्रस्तुत न करना।

(3) आवेदन पत्र में कोई गलत जानकारी देने अथवा ऐसे तथ्यों के छिपाने के फलस्वरूप जो निर्णय लेने की प्रक्रिया अथवा मान्यता प्रदान किए जाने से संबंधित निर्णय को प्रभावित करते हों संस्थान के प्रबंधक वर्ग के विरूद्ध अन्य कानूनी कार्यवाही के

अलावा संस्थान को मान्यता से इन्कार किया जाएगा। मान्यता इन्कार किए जाने का आदेश संस्थान को कारण बताओ नोटिस के माध्यम से एक समुचित मौका दिए जाने के बाद पारित किया जाएगा।

(4) संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्रति सहित एक लिखित पत्र क्षेत्रीय समिति के कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर क्षेत्रीय समिति में मूल आवेदन पत्र की प्राप्ति के कालक्रमानुसार क्रम में राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन तथा संबंधन प्रदान करने वाले संबंधित निकाय को भेजा जाएगा।

(5) पत्र प्राप्त होने पर राज्य सरकार अथवा संबंधित संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन स्थिति अनुसार राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र को पत्र जारी किए जाने की तारीख से 45 दिन के भीतर क्षेत्रीय समिति को सिफारिशें अथवा टिप्पणियां भेजेगी। यदि राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र मान्यता दिए जाने के पक्ष में नहीं है तो वह उसके बारे में आवश्यक आंकड़ों सहित विस्तृत कारण अथवा आधार प्रस्तुत करेगी जिन पर आवेदन पत्र का निपटान करते समय संबंधित क्षेत्रीय समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

(6) यदि राज्य सरकार की सिफारिश उपर्युक्त अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होती तो संबंधित क्षेत्रीय समिति राज्य सरकार को एक अनुस्मारक भेजेगी जिसमें प्रस्ताव के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार को 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यदि कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो एक दूसरा अनुस्मारक भेजा जाएगा जिसमें अनुस्मारक जारी किए जाने के 15 दिन के भीतर सिफारिश देने के लिए कहा जाएगा। यदि उपर्युक्त अवधि के भीतर राज्य सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता तो क्षेत्रीय समिति आवेदन को प्रोसेस करेगी और गुणदोष के आधार पर निर्णय लेगी तथा क्षेत्रीय समिति के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए जाने को राज्य सरकार से टिप्पणियां अथवा सिफारिश प्राप्त न होने के आधार पर स्थगित नहीं किया जाएगा।

(7) राज्य सरकार की सिफारिश पर विचार करने के बाद या स्वयं अपने गुण दोषों के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय समिति यह निर्णय लेगी कि पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए संस्थान की तैयारी का जायजा लेने के लिए संस्थान का विशेषज्ञों के एक दल द्वारा जिसे निरीखण दल कहा जाता है निरीक्षण कराया जाएगा। मुक्त तथा दूरस्थ अधिगम कार्यक्रमों के मामले में अध्ययन केन्द्रों का निरीक्षण भी किया जाएगा। निरीक्षण संस्थान की सहमति के अध्यधीन नहीं होगा बल्कि निरीक्षण कराने का क्षेत्रीय समिति का निर्णय संस्थान को इस निदेश के साथ सूचित किया जाएगा कि निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भेजे गए पत्र की तारीख से दस दिन के बाद किसी भी दिन कराया जाएगा। क्षेत्रीय समिति यह सुनिश्चित करेगी कि निरीक्षण सामान्यतः संस्थान को पत्र की तारीख के तीस दिन के भीतर करा दिया जाए। संस्थान से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह निरीक्षण के समय निरीक्षण दल को सक्षम सिविल प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए भवन संपूर्ति प्रमाण पत्र सहित यदि वह पूर्व में प्रस्तुत न किया गया हो परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में भवन संपूर्ति प्रमाणपत्र तथा अन्य तैयारी से संबंधित विवरण उपलब्ध कराएगा।

शर्त यह है कि क्षेत्रीय समिति ऐसे निरीक्षण उसके द्वारा स्वीकार किए जाने वाले मामलों के लिए नितान्ततः आवेदन पत्रों की प्राप्ति के कालक्रमानुसार कराएगी।

आगे यह शर्त है कि निरीक्षण के लिए परिषद द्वारा स्वीकृत विशेषज्ञों के पैनल में से तथा परिषद की निरीक्षण दल नीति के अनुसार निरीक्षण दल के सदस्यों की बाबत निर्णय लिया जाएगा।

(8) विशेषज्ञों के दल द्वारा संस्थान के दौरे के समय संबंधित संस्थान निरीक्षण को ऐसे ढंग से वीडियोग्राफ कराएगा कि प्रबन्धकवर्ग तथा संकाय के साथ, यदि दौरे के समय वह उपलब्ध हो तो वैचारिक आदान–प्रदान सहित महत्वपूर्ण मूलभूत अनुदेशात्मक सुविधाएं वीडियोग्राफ हो जाएं। निरीक्षण दल वीडियो रिकार्डिंग के साथ–साथ अपनी रिपोर्टों को अंतिम रूप देगा और जहां तक संभव होगा उसी दिन कूरियर कर देगा।

शर्त यह है कि वीडियोग्राफी को भवन का बाहरी दृश्य, उसका परिवेश, पहुंच मार्ग तथा क्लासरूमों, प्रयोगशालाओं, संसाधन कक्षों, बहुप्रयोजन हाल, पुस्तकालय तथा अन्य सहित महत्वपूर्ण मूलभूत सुविधाओं को स्पष्टतः दर्शाना चाहिए। निरीक्षण दल यह सुनिश्चित करेगा कि वीडियोग्राफी अविच्छिन्न रूप से की जाए, वीडियोग्राफी की अंतिम असम्पादित प्रति उसकी रिकार्डिंग के तत्काल बाद उन्हें सौंप दी जाए तथा सीडी में उसका रूपान्तरण निरीक्षण दल सदस्यों की उपस्थिति में किया जाएगा।

आगे यह शर्त है कि नए पाठ्यक्रमों अथवा मौजूदा पाठ्यक्रम के दाखिले में वृद्धि के लिए निरीक्षण के समय निरीक्षण दल मौजूदा मान्यताप्राप्त अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए सुविधाओं का आंकलन करेगा और साथ ही मौजूदा पाठ्यक्रमों के लिए भी विनियमों तथा मानदंडों और मानकों की पूर्ति और रखरखाव का आंकलन करेगा।

(9) निरीक्षण दल की वीडियो रिकार्डिंग अथवा सीडी सहित आवेदन पत्र और रिपोर्ट विचार किए जाने और उपयुक्त निर्णय लिए जाने के लिए संबंधित क्षेत्रीय समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

(10) क्षेत्रीय समिति मान्यता अथवा अनुमति प्रदान किए जाने के बारे में केवल इस संबंध में अपनी तसल्ली करने के बाद ही निर्णय लेगी कि संस्थान संबंधित अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए निर्धारित मानदंडों और मानकों सहित राष्ट्रीय परिषद द्वारा अधिनियम, नियमों तथा विनियमों के अधीन निर्धारित सभी शर्तों की पूर्ति करता है।

(11) मान्यता प्रदान किए जाने के मामले में क्षेत्रीय समितियां विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए निर्धारित मानदंडो और मानकों सहित अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अन्तर्गत पूर्णरूपेण कार्य करेगी।

(12) क्षेत्रीय निदेशक जोकि क्षेत्रीय समिति के संयोजक हैं क्षेत्रीय समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए मानदंडों और मानकों सहित अधिनियम, नियमों अथवा विनियमों में सही प्रावधान क्षेत्रीय समिति की जानकारी में लाए जायें जिससे कि समिति उपयुक्त निर्णय लेने की स्थिति में हो सके।

(13) संबंधित संस्थान को शैक्षणिक सत्र के शुरू होने से पहले योग्य संकाय की नियुक्ति किए जाने के अध्यधीन एक आशय पत्र के माध्यम से मान्यता अथवा अनुमति प्रदान किए जाने की बाबत सूचित किया जाएगा।

इस धारा के अधीन जारी किए जाने वाला आशय पत्र राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया जाएगा लेकिन संस्थान को और संबंधन प्रदान करने वाले निकाय को इस अनुरोध के साथ भेजा जाएगा कि राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार योग्य स्टाफ की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए और यह सुनिश्चित करने में संस्थान को पूरा सहयोग प्रदान किया जाए कि स्टाफ अथवा संकाय परिषद के मानदंडों के अनुसार दो महीने के भीतर नियुक्त कर लिया जाए। संस्थान संबंधन प्रदान करने वाले निकाय द्वारा यथा अनुमोदित संकाय की सूची क्षेत्रीय समिति को भेजेगा।'

(14) (1) सभी प्रार्थी संस्थान क्षेत्रीय समिति से आशय पत्र की प्राप्ति के शीघ्र बाद परिषद तथा तदनुरूपी क्षेत्रीय कार्यालय वेबसाइटों के साथ हाइपरलिंक सहित स्वयं अपना वेबसाइट शुरू करेगा जिसमें सभी संबंधितों की जानकारी के लिए अन्य बातों के साथ–साथ संस्थान के विवरण, इसका स्थान, जिस कार्यक्रम के लिए आवेदन किया गया है, वह कार्यक्रम तथा दाखिल, मूलभूत सुविधाओं जैसे कि भूमि, भवन, कार्यालय, क्लासरूम तथा अन्य सुविधाओं अथवा सुख–साधनों, अनुदेशात्मक सुविधाओं जैसे कि प्रयोगशाला और पुस्तकालय की उपलब्धता और फोटोग्राफ सहित उनके प्रस्तावित शिक्षण संकाय तथा शिक्षणोत्तर संकाय के विवरण दिए गए होंगे। वेबसाइट पर निम्न में से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी यथाः

(क) संस्थान के वार्षिक दाखिले सहित स्वीकृत कार्यक्रम

(ख) स्कूल प्रमाणपत्र में यथानिर्दिष्ट संकाय तथा स्टाफ की अर्हताओं, वेतन मान तथा फोटोग्राफ सहित विवरण

(ग) संकाय के उन सदस्यों के नाम जिन्होंने पिछली तिमाही में संस्थान छोड़ दिया अथवा संस्थान में कार्यभार संभाला

(घ) चालू सत्र में दाखिल किए गए छात्रों के नाम, उनकी अर्हता, अर्हकपरीक्षा और प्रवेश परीक्षा में यदि कोई हो तो प्राप्त अंकों का प्रतिशत, दाखिले की तारीख और ऐसी अन्य जानकारी

(ङ) छात्रों से ली जाने वाली फीस

(च) उपलब्ध मूलभूत सुविधाएं

(छ) पिछली तिमाही में जोड़ी गई सुविधाएं

(ज) पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की संख्या, जिन पत्रिकाओं के लिए चंदा दिया गया है तथा पिछली तिमाही में वृद्धियां यदि कोई हों तो।

(ii) संस्थान को यदि वह चाहे तो कोई अन्य संगत जानकारी प्रस्तुत करने की छूट रहेगी।

(iii) इसकी वेबसाइट पर कोई भी गलत अथव अधूरी जानकारी के कारण संस्थान की मान्यता रद्द की जा सकेगी।

15. संबंधित कार्यक्रमों के मानदंडों और मानकों के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित संकाय अथवा स्टाफ की नियुक्ति कर लेने तथा विनियम 8 के अधीन शर्तें पूरी कर लेने के बाद संस्थान संबंधित क्षेत्रीय समिति को ऐसी नियुक्तियों की बाबत औपचारिक रूप से सूचित करेगा।

16. संस्थान द्वारा संकाय के चयन अथवा नियुक्ति के लिए अनुमोदन प्रदान करने वाला पत्र भी क्षेत्रीय समिति को उपलब्ध कराया जाएगा जिसके साथ यह सिद्ध करने वाला दस्तावेज संलग्न किया जाएगा कि स्थायी निधि और आरक्षित निधि की सावधि जमा रसीदें एक संयुक्त खाते में बदल दी गई है तथा उपर्युक्त विवरण प्राप्त होने के बाद संबंधित क्षेत्रीय समिति मान्यता का एक औपचारिक आदेश भेजेगी जिसे अधिनियम में यथाउपबंधित के अनुसार अधिसूचित किया जाएगा।

17. जिन मामलों में निरीक्षण दल की रिपोर्ट तथा रिकार्ड पर उपलब्ध अन्य तथ्यों पर विचार कर लेने के बाद क्षेत्रीय समिति का यह मत हो कि संस्थान पाठ्यक्रम शुरू करने अथवा चलाने अथवा दाखिले में वृद्धि के लिए अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता, उनमें क्षेत्रीय समिति संस्थान को सुनवाई का एक मौका प्रदान करने के बाद कमियों को पूरा करने अथवा निरीक्षण के लिए कोई और मौका देने से इन्कार करने का एक आदेश पारित करेगी, जिसके कारण लिखित रूप में अभिलेखबद्ध किए जाने होंगेः शर्त यह है कि क्षेत्रीय समिति द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अधिनियम की धारा 18 के अधीन परिषद को अपील की जा सकती है।

18. निरीक्षण दल विशेषज्ञों के नामों सहित संस्थानों के निरीक्षण की रिपोर्टें क्षेत्रीय समिति द्वारा विचार किए जाने के बाद अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।

19. क्षेत्रीय समिति, कार्यक्रम बन्द करने के लिए आवेदन पत्र पर उसी तरीके से कार्रवाई करेगी जो कि नए कार्यक्रमों अथवा अतिरिक्त कार्यक्रमों अथवा अतिरिक्त कार्यक्रमों अथवा अतिरिक्त दाखिले के लिए निर्धारित है।

8. मान्यता प्रदान किए जाने की शर्तें:

(1) नए अध्यापक शिक्षा संस्थान संयुक्त संस्थानों में स्थित होंगे तथा मौजूदा अध्यापक शिक्षा संस्थान स्वतंत्र संस्थानों के रूप में काम करना जारी रखेंगे और धीरे–धीरे संयुक्त संस्थान बनने की दिशा में प्रयास करेंगे।

(2) अध्यापक शिक्षा का कोई कार्यक्रम अथवा प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए संस्थान को मानदंडों तथा मानकों से संबंधित सभी अपेक्षाओं की पूर्ति करनी होगी। इन मानदंडों में अन्य बातों के साथ–साथ वित्तीय संसाधनों, आवास, पुस्तकालय, प्रयोगशाला अन्य मूलभूत सुविधा, शिक्षण और शिक्षणोत्तर कार्मिकों सहित योग्य स्टाफ सम्बन्धी अपेक्षाओं का भी प्रावधान है।

(3) जिस संस्थान को परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कर दी गई है, वह ऐसी मान्यता की तारीख से पांच वर्षों के भीतर परिषद द्वारा अनुमोदित प्रत्यायन एजेंसी से प्रत्यायन प्राप्त करेगी।

(4) (i) इन विनियमों के अधीन किसी भी संस्थान को तब तक मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि उस संस्थान अथवा संस्थान को प्रायोजित करने वाली सोसायटी के पास आवेदन की तारीख को अपेक्षित भूमि पर उपलब्ध न हो। सभी अवरोधों से मुक्त भूमि मालिकाना आधार पर अथवा सरकार या सरकारी संस्थानों से कम से कम तीस वर्षों के पट्टे पर होनी चाहिए। ऐसे मामलों में जिनमें संबंधित राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र नियमों के अधीन पट्टे की अधिकतम अनुमत्य अवधि तीस वर्ष से कम है, राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र का नियम लागू होगा और किसी भी स्थिति में अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए कोई भी भवन पट्टे पर नहीं लिया जाएगा।

(ii) संस्थान को प्रायोजित करने वाली सोसायटी को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्तावित अध्यापक शिक्षा संस्थान के पास मानदंडों द्वारा यथानिर्धारित एक सु–सीमांकित भूक्षेत्र है।

(iii) संस्थान को प्रायोजित करने वाली सोसायटी को विनियम 7 के उपविनियम(16) के अधीन औपचारिक मान्यता आदेश के जारी किए जाने की तारीख से छः महीने की अवधि के भीतर भूमि और भवन को संस्थान के नाम अंतरित करना होगा तथा उसका हकनामा संस्थान में निहित करना होगा। तथापि यदि सोसायटी स्थानीय विधियों अथवा नियमों अथवा उपनियमों के कारण ऐसा करने में असमर्थ रहती है तो वह दस्तावेजी साक्ष्य सहित लिखित रूप से अपनी असमर्थता सूचित करेगी। क्षेत्रीय कार्यालय इस जानकारी को रिकार्ड पर रखेगा और इसे अनुमोदन के लिए क्षेत्रीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(5) संस्थान अथवा सोसायटी ओथ कमिश्नर अथवा नोटेरी पब्लिक द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगी जिसमें ये विवरण दिए गए होंगे: भूमि का सही स्थान(खसरा नम्बर, गांव, जिला, राज्य आदि) कुल क्षेत्र जो कब्जे में है तथा भूमि को शैक्षिक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल करने की सक्षम प्राधिकारी की अनुमति तथा कब्जे की विधि अर्थात मालिकाना या पट्टे पर है। सरकारी संस्थानों के मामले में उपर्युक्त शपथ पत्र संस्थान के प्रिंसिपल अथवा अध्यक्ष अथवा किसी अन्य उच्च अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। इस शपथ पत्र के साथ पंजीकरण प्राधिकारी अथवा सिविल प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए भूमि के स्वामित्व अथवा पट्टा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति के साथ विनियम 5 के उपविनियम (4) में निहित प्रावधान के अनुसार शैक्षिक प्रयोजनों के लिए भूमि का प्रयोग करने के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति तथा स्वीकृत भवन नक्शा संलग्न करनी होगी।

(6) संस्थान द्वारा शपथ पत्र की प्रति उसकी अधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। यदि शपथ पत्र की अन्तर्वस्तु अधूरी अथवा गलत पाई जाती है, सोसायटी अथवा ट्रस्ट अथवा संबंधित संस्थान के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य संगत विधियों के प्रावधानों के अधीन सिविल तथा दाण्डिक कार्रवाई की जा सकती है।

(7) निरीक्षण के समय संस्थान का भवन, उसके कब्जे की भूमि पर सभी जरूरी सुविधाओं से सुसज्जित तथा मानदण्डों और मानकों में निर्धारित सभी अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाले एक स्थायी ढांचे के रूप में पूरा होना चाहिए। प्रार्थी संस्थान, सत्यापन के लिए निरीक्षण दल को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया मूल संपूर्ति प्रमाण पत्र, भवन की संपूर्ति और निर्मित क्षेत्र के प्रमाण में भवन का स्वीकृत नक्शा तथा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। संस्थान में किसी भी अस्थायी ढांचे अथवा ऐस्बसटास की छतों की अनुमति नहीं होगी, भले ही वह निर्धारित निर्मित क्षेत्र के विस्तार के रूप में हो।

(8) नए कार्यक्रम अथवा दाखिले में वृद्धि के लिए निरीक्षण के समय निरीक्षण दल, जिस मौजूदा कार्यक्रम के लिए परिषद द्वारा पहले ही मान्यता दी जा चुकी है उसके लिए सुविधाओं का भी सत्यापन करेगा और साथ ही मौजूदा कार्यक्रमों के लिए विनियमों तथा मानदंडों और मानकों की पूर्ति और अनुरक्षण का भी पता लगाएगा।

(9) परिसर बदलने के स्थिति में संबंधित क्षेत्रीय समिति की पूर्व–अनुमति जरूरी होगी जो कि नए स्थान पर संस्थान का निरीक्षण किए जाने बाद दी जा सकती है। परिसर बदलने की पूर्व अनुमति के लिए संस्थान द्वारा परिसर बदलाव के लिए प्रोसेसिंग फी तथा सभी संगत दस्तावेज सहित आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में आनलाइन क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जाएगा। ऐसे स्थान पर बदलाव की अनुमति दी जा सकती है, जिसके लिए यदि आरम्भ में आवेदन किया गया होता तो वह परिषद के निर्धारित मानदंडों के अनुसार संस्थान की स्थापना के लिए अर्हता प्राप्त पाया जाता। इसके बाद यह बदलाव वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा।

(10) विश्वविद्यालय अथवा परीक्षण निकाय विनियम 7 के उपविनियम (16) के अधीन औपचारिक मान्यता जारी किए जाने के बाद ही संबंधन प्रदान करेगा और संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय अथवा संबंधन प्रदान करने वाले निकाय द्वारा संबंधन के बाद ही दाखिले किए जाएंगे।

(11) जब कभी अध्यापक शिक्षा में किसी कार्यक्रम के मानदण्डों तथा मानकों में कोई बदलाव किया जाता है, संस्थानों को तत्काल संशोधित मानदंडों और मानकों में निर्धारित अपेक्षाओं का पालन करना होगा। तथापि भूक्षेत्र संबंधी संशोधित मानदंड मौजूदा संस्थानों पर लागू नहीं होंगे लेकिन मौजूदा संस्थानों को संशोधित मानदण्डों का पालन करने के लिए अपेक्षित निर्मित क्षेत्र बढ़ाना होगा और जिन संस्थानों के पास संशोधित मानदंडों के अनुसार भूक्षेत्र नहीं है, उन्हें अतिरिक्त कार्यक्रमों अथवा अतिरिक्त दाखिले के रूप में विस्तार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(12) संस्थान को, जब कभी जरूरी होगा परिषद अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को जानकारी अथवा दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे तथा कोई भी अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाना भी मान्यता की शर्तों का उल्लंघन समझा जाएगा।

(13) संस्थान को ऐसे रिकार्ड, रजिस्टर तथा अन्य दस्तावेज, जो किसी शैक्षिक संस्थान चलाने के लिए अनिवार्य है, विशेष रूप से ऐसे दस्तावेज रखने होंगे जो केन्द्रीय अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, संबंधन प्रदान करने वाले अथवा परीक्षण निकाय को संगत नियमों अथवा विनियमों तथा मानदंडों और मानकों अथवा अनुदेशों में निर्धारित किए गए हैं।

(14) संस्थान निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य प्रकटन का पालन करेगा तथा अपनी अधिकारिक वेबसाइट में अद्यतन जानकारी प्रदर्शित करेगा।

9. **मानदंड तथा मानकः** नीचे तालिका में दर्शाए गए कार्यक्रमों का संचालन करने वाले प्रत्येक संस्थान को विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए परिशिष्ट 1 से परिशिष्ट 15 में यथानिर्दिष्ट मानदंडों और मानकों का पालन करना होगाः

क्र.स.	मानदण्ड और मानक	परिशिष्ट संख्या
1.	स्कूल पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा (डीपीएसई) प्राप्त कराने वाला प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम	परिशिष्ट–1
2.	प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एल.एड.) प्राप्त कराने वाला प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम	परिशिष्ट–2
3.	प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक (बी.एल.एड.) डिग्री प्राप्त कराने वाला प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में स्नातक कार्यक्रम	परिशिष्ट–3
4.	शिक्षा में स्नातक (बी.एड.) डिग्री प्राप्त कराने वाला प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम	परिशिष्ट–4
5.	शिक्षा में मास्टर (एम.एड) डिग्री प्राप्त कराने वाला शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम	परिशिष्ट–5
6.	शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.) प्राप्त कराने वाला शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा कार्यक्रम	परिशिष्ट–6
7.	शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड) डिग्री प्राप्त कराने वाला शारीरिक शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम	परिशिष्ट–7
8.	शारीरिक शिक्षा में मास्टर (एम.पी.एड) डिग्री प्राप्त कराने वाला शारीरिक शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम	परिशिष्ट–8
9.	प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एल.एड.) प्राप्त कराने वाला मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा कार्यक्रम	परिशिष्ट–9
10.	शिक्षा में स्नातक (बी.एड) डिग्री प्राप्त कराने वाला शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम	परिशिष्ट–10
11.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य कला) प्राप्त कराने वाला कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य कलाएं) कार्यक्रम	परिशिष्ट–11
12.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन कलाएं) प्राप्त कराने वाला कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन कलाएं)	परिशिष्ट–12
13.	बी.ए. बी.एड/बी.एससी बी.एड. प्राप्त कराने वाला 4 वर्षीय समाकलित कार्यक्रम	परिशिष्ट–13
14.	शिक्षा में स्नातक (बी.एड.) डिग्री प्राप्त कराने वाला शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम (अंशकालिक)	परिशिष्ट–14
15.	बी.एड. एम.एड. (समाकलित डिग्री) प्राप्त कराने वाला बी.एड. एम.एड. (3 वर्षीय समाकलित) कार्यक्रम	परिशिष्ट–15

10. **वित्तीय प्रबंधन**

स्ववित्तपोषी आधार पर कार्यक्रम चलाने वाले सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों सहित स्ववित्तपोषी संस्थानों के मामले में, जहां विनियम 7 के उपविनियम 13 के अधीन आशय पत्र जारी किया गया है, किसी अनुसूचित बैंक में सावधि जमा के रूप में प्रति कार्यक्रम प्रति यूनिट के लिए पांच लाख रुपये की स्थायी निधि तथा प्रति कार्यक्रम अनुमोदित दाखिले के प्रति यूनिट के लिए सात लाख रुपये की आरक्षित निधि होगी जिसे प्रबंधक वर्ग के अधिकृत प्रतिनिधि तथा संबंधित क्षेत्रीय निदेशक के संयुक्त नाम से एक सावधि जमा के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा जिसे प्रत्येक पांच वर्षों के अन्तराल पर नवीकरण द्वारा सतत आधार पर बनाए रखा जाएगा।

(2) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ को संबंधित सरकार अथवा बोर्ड अथवा संबंधन प्रदान करने वाले निकाय द्वारा यथानिर्धारित वेतन का भुगतान आदाता को चैक द्वारा अथवा बैंक में इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा। संस्थान कर्मचारियों को वेतन के भुगतान, कर्मचारी भविष्य निधि का पूरा रिकार्ड रखेगा जिसके विवरण स्वमूल्यांकन रिपोर्ट में दिए जा सकते हैं और जिनका परिषद अथवा राज्य सरकार अथवा संबंधन प्रदान करने वाले निकाय द्वारा कभी भी सत्यापन किया जा सकता है।

(3) प्रत्येक संस्थान अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 30 सितम्बर तक तथा सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित लेखाओं के निम्न विवरण प्रदर्शित करेगाः–

(i) वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

(ii) वित्तीय वर्ष का आय और व्यय लेखा

(iii) वित्तीय वर्ष का प्राप्ति और भुगतान लेखा

11. **शैक्षणिक कलेण्डरः** – (1) सम्बंधन प्रदान करने वाले निकाय के लिए, इन विनियमों के अधीन परिशिष्ट 1 से 15 में निर्दिष्ट कार्यक्रमों में से प्रत्येक कार्यक्रम के संबंध में प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के आरम्भ से कम से कम तीन महीने पहले समय सूची अथवा शैक्षणिक कलेण्डर निर्धारित करके अध्यापक शिक्षा संस्थानों में दाखिले की प्रक्रिया को विनियमित करना तथा निम्न विवरण उपलब्ध कराके समुचित प्रचार करना जरूरी होगा।

(क) दाखिलों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना के प्रकाशन की तारीखः

(ख) प्रत्येक कार्यक्रम के लिए दाखिले के वास्ते आवेदन पत्र की प्राप्ति की अन्तिम तारीखः

(ग) चयन परीक्षा अथवा इन्टरव्यू की तारीखः

(घ) अभ्यर्थियों की पहली, दूसरी तथा तीसरी सूची तथा दाखिले के समापन की अंतिम तारीख के प्रकाशन की तारीख

(2) यह समूची प्रक्रिया दाखिले की सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन की अवधि में पूरी कर ली जाएगी। संबंधन प्रदान करने वाला निकाय उसके द्वारा अधिसूचित समय–सूची अथवा शैक्षणिक कैलेंडर का कड़ाई से पालन करेगा। दाखिले की समाप्ति के बाद प्रत्येक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान संबंधित संबंधन प्रदान करने वाले अथवा परीक्षा निकायों को दाखिले की समाप्ति की अंतिम तारीख से दो दिनों के भीतर दाखिल छात्रों की सूची प्रस्तुत करेगा जोकि संस्थान की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा।

12. **ढ़ील देने का अधिकार**

केन्द्रीय सरकार अथवा संबंधित राज्य सरकार अथवा संघशासित क्षेत्र प्रशासन की सिफारिशों पर अथवा केवल इन विनियमों के प्रावधानों का पालन करने के कारण उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए उक्त राज्य अथवा संघशासित क्षेत्र की विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को संबंधित राज्य अथवा संघशासित क्षेत्र में संस्थानों की किसी एक श्रेणी या वर्ग के बारे में इन विनियमों के प्रावधानों में ऐसे कारणों से, जो लिखित रूप में रिकार्ड किए जाएंगे उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन ढील देने के लिए सक्षम होंगे जोकि ढील देने वाले आदेश में निर्दिष्ट की जाएंगी और निर्णय परिषद की जानकारी में लाए जाएंगे। तथापि, अपवादात्मक मामलों में अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा विनियमों और संबंधित मानदंडों और मानकों के प्रावधानों में ढील देने का अधिकार होगा परन्तु लिखित में निर्णय के कारणों का उल्लेख करते हुए परिषद् द्वारा संपुष्टि हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13. निरसन और व्यावृत्तिः –(1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम 2009 का एतदद्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के बावजूद, एतदद्वारा जिन विनियमों का निरसन किया गया है उनके अधीन किया गया कोई भी कार्य अथवा की गई कार्रवाई अथवा किए जाने के लिए अभिप्रेत अथवा की गई कार्रवाई जहां तक वह इन विनियमों के प्रावधानों के प्रति परस्पर विरोधी नहीं है, इन विनियमों के तदनुरूपी प्रावधानों के अधीन की गई अथवा ली गई समझा जाएगा।

जुगलाल सिंह, सदस्य सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./131ए/14]

परिशिष्ट–1

विद्यालय–पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा (डीपीएसई) प्राप्त कराने वाले प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा के लिए मानदंड और मानक

1. **प्रस्तावना**

1.1 विद्यालय पूर्व शिक्षा का उद्देश्य एक अधिगम वातावरण अर्थात् आनन्दपूर्ण, बाल–केन्द्रित, खेल तथा क्रियाकलाप आधारित वातावरण में समग्र बाल विकास करना है। डीपीएसई का मौजूदा कार्यक्रम जिसे पूर्व में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में डिप्लोमा (डी.ई.सी.एड.) कहा जाता था का उद्देश्य विद्यालय पूर्व कार्यक्रमों के लिए जिनकी पेशकश नर्सरी स्कूलों, किंडरगार्टन स्कूलों तथा प्रारंभिक स्कूलों जैसे विभिन्न नामों के अधीन की जाती है अध्यापक तैयार करना है। यह कार्यक्रम 3 से 6 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों को कवर करेगा।

2. **अवधि तथा कार्य दिवस**

2.1 **अवधि**

डीपीएसई कार्यक्रम की अवधि 2 शैक्षणिक वर्ष होगी। तथापि छात्रों को कार्यक्रम में दाखिले की तारीख से 3 वर्ष की अधिकतम अवधि के भीतर कार्यक्रम पूरा करने की छूट होगी।

2.2 **कार्यकारी दिवस**

(क) परीक्षा और दाखिले की अवधि को छोड़कर प्रत्येक वर्ष में कम से कम 200 कार्य–दिवस होंगे।